न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 7/2022 (75 एल.आर.ए.) चेतनराम बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2022/00034)

चेतनराम पुत्र श्री गुलाराम जाति मेघवाल निवासी उचपदराम, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भणियाणा, जिला जैसलमेर।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भणियाणा दिनांक 09.01.2015 अंतर्गत प्रकरण सं. 167/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल रहमान मेहर।

2 रेस्पो. की ओर से पैरोकार राज श्री ललित चारण नायब तहसीलदार।

निर्णय

दिनांक : 14.09..2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत के तहसीलदार भणियाणा के आदेश दिनांक 09.01.2015 अंतर्गत प्रकरण सं. 167/2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी रिपोर्ट पर तहसीलदार भणियाणा द्वारा संवत 2071 के दौरान ग्राम उचपदरा के खसरा नं. 10 रकबा 128.19 बीघा किस्म गै.मु. आगोर में से 3.12 बीघा में गवार की फसल मकान एवं कब्जा करने की पेश होने पर अपीलांट को नोटिस जारी कर धारा 91(6) एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के कोई सबूत पेश नहीं करने से अपीलांट को धारा 91(6) एल. आर. एक्ट के तहत भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर लगान का 50 गुणा राशि रु.11 का जुर्माना आरोपित किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
अपीलांट ने अपील में यह भी अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य निर्णय व आदेश विधि विधान, न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल है, आलोच्य निर्णय हल्का पटवारी की बनावटी व गलत रिपोर्ट व उसकी बिना जांच किए पारित किया गया है, आलोच्य निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व जबाब पेश करने व अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मौके से बेदखल करना मानकर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट पीढ़ियों से काबिज है तथा कोई नया कब्जा नहीं किया है जिसकी जांच किए बिना ही निर्णय पारित कर दिया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान लिए बिना व मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना ही आदेश पारित किया है अतः आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट ने यह भी अंकित किया है कि धारा 91(6) एल.आर. एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि रिपोर्ट आने पर तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के 15 दिन बाद यदि अतिक्रमी कब्जा नहीं छोड़ता है तो कब्जा नहीं छोड़ने की पुनः जांच करवाई जावेगी, यदि काबिज पाया जाता है तो तहसीलदार द्वारा प्रथम सूचना (एफ.आई.आर.) संबंधित थाना में दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) जैसलमेर

Scanned with CamScanner

करवाई जावेगी। प्रकरण की तफ्तीश उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा तफ्तीश कर चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्वीक्षा हेतु पेश किया जाता है। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट दोषी पाता है तो सजा व जुर्माना करता है तथा बेदखली के आदेश करता है। उक्त प्रकिया अपनाए बिना ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया जो आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल रहमान मेहर ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि धारा 91(6) एल.आर. एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि रिपोर्ट आने पर तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के 15 दिन बाद यदि अतिक्रमी कब्जा नहीं छोड़ता है तो कब्जा नहीं छोड़ने की पुनः जांच करवाई जावेगी, यदि काबिज पाया जाता है तो तहसीलदार द्वारा प्रथम सूचना (एफ.आई.आर.) संबंधित थाना में दर्ज करवाई जावेगी। प्रकरण की तफ्तीश उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा तफ्तीश कर चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्वीक्षा हेतु पेश किया जाता है। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट दोषी पाता है तो सजा व जुर्माना करता है तथा बेदखली के आदेश करता है। उक्त प्रकिया अपनाए बिना ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया जो आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यदि धारा 91 में नोटिस दिया जाता तो ही बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा सकती है। धारा 91(6) के तहत बेदखली की कार्यवाही व जुर्माना आरोपित करने की कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश व निर्णय की प्रथम बार जानकारी प्रार्थी को दिनांक 06.02.2018 को हुई जब तहसीलदार द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया तथा मौके पर बने पक्के मकान को हटाने का नोटिस दिया गया। उसके पश्चात आदेश व पत्रावली की नकलें प्राप्त की गईं। उसके पश्चात अपील अविलंब अपील पेश की गई है। उक्त आदेश व निर्णय एक तरफा प्रार्थी की बिना उपस्थिति के किया गया है जिसमें प्रथम बार जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील पेश की गई है। प्रार्थी ने जानबूझ कर गलती व लापरवाही नहीं की है। सद्भावी देरी हुई है जो माफी योग्य है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार कर अपील मैरिट पर निस्तारण करने का निवेदन किया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार भणियाणा का आदेश दिनांक 09.01..2015 निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. की ओर से पैरोकार राज श्री ललित चारण नायब तहसीलदार ने बहस में कथन किया कि देरी से पेश की गई है इस कारण अपील मियाद बाहर है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी की गई है। अपीलांट को तहसीलदार भणियाणा ने पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जहां तक अपीलांट का तर्क है कि प्रकरण 91(6) का है जिसमें 15 दिन का नोटिस जारी करना चाहिए व उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए इस प्रकरण के संदर्भ में उचित नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है जिसमें तहसीलदार कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। नोटिस पर धारा 91–6 (2)(क) के अधीन छपा हुआ है। वह पूर्व से ही छपा हुआ प्रोफार्मा है जिसे त्रुटिवश उपयोग में किया गया है। केवल नोटिस के प्रोफार्मा से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) जैसलमेर

Scanned with CamScanner

आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं हैं। अतः प्रक्रियात्मक भूल के आधार पर निर्णय को अपास्त नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 अपीलांट के अधिवक्ता एवं पैरोकार राज की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 प्रस्तुत अपील देरी से पेश की गई है तथा इस देरी को कंडोन करने के लिए अपीलांट की ओर से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का कथन है अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश व निर्णय की प्रथम बार जानकारी प्रार्थी को दिनांक 06.02.2018 को हुई जब तहसीलदार द्वारा अंतिम नोटिस दिया गया तथा मौके पर बने पक्के मकान को हटाने का नोटिस दिया गया। उसके पश्चात आदेश व पत्रावली की नकलें प्राप्त की गईं। उसके पश्चात अपील अविलंब अपील पेश की गई है। उक्त आदेश व निर्णय एक तरफा प्रार्थी की बिना उपस्थिति के किया गया है जिसमें प्रथम बार जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील पेश की गई है। प्रार्थी ने जानबूझ कर गलती व लापरवाही नहीं की है। सद्भावी देरी हुई है जो माफी योग्य है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार कर अपील मैरिट पर निस्तारण करने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया गया व इसके खण्डन में कोई काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए मैरिट पर निस्तारण करना न्यायोचित पाया जाता है।

इस प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि आलोच्य निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व जबाब पेश करने व अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मौके से बेदखल करने हेतु निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट पीढ़ियों से काबिज है तथा कोई नया कब्जा नहीं किया है जिसकी जांच किए बिना ही निर्णय पारित कर दिया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान लिए बिना व मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना ही आदेश पारित किया है अतः आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 91(6) एल.आर. एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि रिपोर्ट आने पर तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के 15 दिन बाद यदि अतिक्रमी कब्जा नहीं छोड़ता है तो कब्जा नहीं छोड़ने की पुनः जांच करवाई जावेगी, यदि काबिज पाया जाता है तो तहसीलदार द्वारा प्रथम सूचना (एफ.आई.आर.) संबंधित थाना में दर्ज करवाई जावेगी। प्रकरण की तफ्तीश उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी द्वारा तफ्तीश कर चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्वीक्षा हेतु पेश किया जाता है। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट दोषी पाता है तो सजा व जुर्माना करता है तथा बेदखली के आदेश करता है। उक्त प्रकिया अपनाए बिना ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया जो आदेश अपास्त योग्य है। अपीलांट का यह भी कथन है कि आगोर भूमि खसरा नं. 10 पर कोई कब्जा नहीं है और न ही कभी कब्जा काश्त की है। अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा नं. 18/1 रकबा 27.06 व खसरा नं. 101/2 रकबा 24.09 कुल रकबा 15.15 बीघा खातेदारी का दर्ज जिस पर ही उसका कब्जा काश्त व मकान बना हुआ है हर तीनों खसरों की सीमा विवाद है एवं सही जांच होने पर अपीलांट अतिक्रमी नहीं है।

अपीलांट के अधिवक्ता के कथन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलाधीन आदेश नोट शीट पर लिखा गया है तथा पत्रावली में गैर सायल को तलब करने के लिए दो नोटिस संलग्न है जिसमें प्रथम नोटिस दिनांक 17.11.2014 की तारीख का है तथा दूसरा नोटिस दिनांक 22.12.2014 का है। प्रथम नोटिस पर धारा 91–6 (2)(क) के अधीन छपा हुआ है। जबकि दूसरे नोटिस पर धारा 91–6 (2)(क) छपा हुआ नहीं है। अपीलांट उक्त दोनों नोटिस की तामील के बाद उपस्थित नहीं हुआ है। नोटिस के विवरण में

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) जैसलमेर

Scanned with CamScanner

भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की समस्त उपधाराओं को अंकित किया है इसलिए इस नोटिस के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि कार्यवाही केवल धारा 91(6) के आधार पर ही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट अंकित है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल द्वारा संवत 2071 खरीफ के दौरान ग्राम उचपदरा के खसरा नं. 10 रकबा 128.19 किस्म गै.मु. आगोर में से 3.12 बीघा में गुवार की फसल, मकान एवं कब्जा करने की पेश होने पर गैर सायल को नोटिस जारी किए गए। गैर सायल पुराना कब्जे संबंधित सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए अतः गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 (6) के तहत भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर वार्षिक लगान का 50 गुना राशि रु. 11.00 ग्यारह मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्णय से हल्का पटवारी एवं टी.आर.ए. पालनार्थ सूचित हो। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में केवल धारा 91(6) की कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि इसमें धारा 91(1) के तहत कार्यवाही की गई है। निर्णय में एक स्थान पर धारा 91(6) अवश्य अंकित है परंतु इससे संपूर्ण कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल अतिक्रमी है और उसे अतिक्रमी मानकर बेदखल करने एवं नियमानुसार जुर्माने से आरोपित किया गया है। अतः केवल प्रक्रियात्मक भूल के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8 अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

14/9/22

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

9 निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/22

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

Scanned with CamScanner